कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी R-2244-II-16

बादाम सिंह पुत्र श्री गोपीराम परिहार
निवासी – ग्राम श्योपुरा तहसील करैरा जिला – शिवपुरी म.प्र.)
.... आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 5.7.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ़ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

कोमल पुत्र श्री रघुवर खंगार
निवासी – ग्राम श्योपुरा तहसील करैरा जिला – शिवपुरी म.प्र.)
.......अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम श्योपुरा में स्थित भूमि सर्वे न. 238 रकवा 0.31 है0 का सीमांकन कराये जाने हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।
2. यहकि, विवादित भूमि के उक्त सर्वे नं. से लगी हुयी भूमि आवेदक की है, इसके संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 93ए/2014 ई.दी माननीय प्रथम न्यायधीश वर्ग–2 करैरा के न्यायालय में विचाराधीन है उपरोक्त व्यवहार वाद में अनावदेक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2014 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 08.01.2016 को निरस्त की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के समक्ष लम्बित् व्यवहार वाद के निराकरण तक सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस तथ्य की जानकारी आवेदक की ओर से तहसीलदार करैरा के समक्ष दी गयी थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना तथा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना जो

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2244-दो/16 **जिला -** शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी करैरा</u>**	